भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2422

(सोमवार, 3 अगस्त, 2026/12 श्रावण, 1948 (शक) को उत्तर के लिए)

छोटी कंपनियों की स्थिति

2422. श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरीः
श्री रमेश अवस्थीः
श्री अरविंद धर्मापुरीः
श्री अनुराग सिंह ठाकुरः
श्री खगेन मुर्मुः
श्री कंवर सिंह तंवरः
श्री भर्तृहरि महताबः
डॉ. निशिकान्त दुबेः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान पंजीकृत छोटी कंपनियों, स्टार्टअप्स और सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) की तेलंगाना सहित राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्र-वार और ज़िलेवार संख्या कितनी है;
(ख) कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत "छोटी कंपनियों" के वर्गीकरण के लिए 2014 से चुक्ता शेयर पूंजी और पण्यावर्त की सीमा में किए गए परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है और इन परिवर्तनों से होने वाले अपेक्षित लाभ क्या हैं;
(ग) क्या इन परिवर्तनों से तेलंगाना सहित अन्य राज्यों में लघु व्यवसायों के लिए अनुपालन का बोझ कम हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) टियर-2 ज़िलों में व्यवसायों के लिए सरल मिसिलबंदी और एमसीए21-आधारित अनुपालन सहायता का विस्तार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): भारत में पिछले पाँच वित्तीय वर्षों के दौरान पंजीकृत लघु कंपनियों तथा एलएलपी की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या क्रमशः अनुलग्नक-1 एवं अनुलग्नक-2 में दी गई है। तेलंगाना राज्य में पिछले पाँच वित्तीय वर्षों के दौरान लघु कंपनियों तथा एलएलपी से संबंधित जिला-वार जानकारी क्रमशः अनुलग्नक-3 एवं अनुलग्नक-4 में दी गई है। डीपीआईआईटी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, पिछले पाँच वर्षों के दौरान पंजीकृत स्टार्टअप्स की राज्य/संघ

राज्य क्षेत्र-वार संख्या अनुलग्नक -5 में तथा तेलंगाना के लिए पंजीकृत स्टार्टअप्स की जिला-वार संख्या अनुलग्नक -6 में दी गई है।

(ख) एवं (ग): वर्ष 2014 से लघु कंपनियों की परिभाषा में चुकता शेयर पूंजी तथा कारोबार की सीमा में किए गए परिवर्तन निम्नानुसार हैं:-

परिवर्तन की तिथि	**चूकता पूंजी (रूपए में)**	**कारोबार (रूपए में)**
01-04-2014	**50,00,000**	**2,00,00,000**
01-04-2021	**2,00,00,000**	**20,00,00,000**
15-09-2022	**4,00,00,000**	**40,00,00,000**
01-12-2025	**10,00,00,000**	**1,00,00,00,000**

चुकता पूंजी तथा कारोबार की सीमा में किए गए परिवर्तनों के परिणामस्वरूप अधिक संख्या में कंपनियाँ "लघु कंपनियों" की श्रेणी में सम्मिलित हुई हैं, जिससे उन्हें अनुपालन संबंधी प्रकटीकरण आवश्यकताओं में कमी का लाभ प्राप्त हुआ है।

कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने तेलंगाना में कार्यरत लघु कंपनियों तथा लघु एलएलपी सहित लघु कंपनियों एवं लघु एलएलपी पर अनुपालन का बोझ कम करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। उनका विवरण अनुलग्नक -7 में दिया गया है।

(घ): मंत्रालय द्वारा लघु कंपनियों के लिए फाइलिंग प्रक्रिया को पहले ही सरल बनाया जा चुका है, जो टियर-II जिलों सहित पूरे देश में लागू है। इसके अतिरिक्त, फाइलिंग मंत्रालय के इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल (एमसीए-21) के माध्यम से की जाती है तथा सभी कंपनियों की सुविधा के लिए चरणबद्ध ई-फॉर्म फाइलिंग के मैनुअल, वीडियो मार्गदर्शिकाएँ, प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) तथा वेब-आधारित प्रपत्रों में उपलब्ध प्रणालीगत संकेतों सहित विस्तृत मार्गदर्शन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त, एमसीए-21 पोर्टल से संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु देशभर के हितधारकों को सहायता प्रदान करने के लिए एक केंद्रीय हेल्पडेस्क (टोल-फ्री नंबर, ई-मेल तथा लाइव-चैट सुविधा सहित) भी स्थापित है।

अनुलग्नक-1

दिनांक 03.08.2026 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2422 भाग (क) का अनुलग्नक-1

पिछले 5 वित्तीय वर्षों में भारत में पंजीकृत लघु कंपनियां

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	कुल
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	63	57	80	38	69	307
2.	आंध्र प्रदेश	3,011	2,698	3,407	3,972	6,086	19,174
3.	अरुणाचल प्रदेश	67	71	173	98	116	525
4.	असम	1,276	1,252	1,545	1,372	1,922	7,367
5.	बिहार	4,885	4,358	5,495	5,371	7,993	28,102
6.	चंडीगढ़	556	488	530	487	622	2,683
7.	छत्तीसगढ़	1,246	1,109	1,378	1,378	1,976	7,087
8.	दादरा और नगर हवेली दमन और दीव	53	46	41	46	70	256
9.	दिल्ली	13,270	13,040	14,436	14,121	18,925	73,792
10.	गोवा	393	511	570	641	718	2,833
11.	गुजरात	7,172	7,636	8,712	9,201	13,424	46,145
12.	हरियाणा	6,660	6,505	8,153	8,369	11,892	41,579
13.	हिमाचल प्रदेश	646	559	658	684	860	3,407
14.	जम्मू और कश्मीर	923	886	1,301	1,240	1,558	5,908
15.	झारखंड	1,803	1,561	1,839	1,766	2,642	9,611
16.	कर्नाटक	11,341	10,350	13,067	12,210	16,824	63,792
17.	केरल	5,622	5,161	5,791	5,971	8,631	31,176
18.	लद्दाख	22	10				32
19.	लक्षद्वीप	3	3	8	4	11	29
20.	मध्य प्रदेश	3,910	4,218	4,840	4,733	6,714	24,415
21.	महाराष्ट्र	25,079	24,354	27,264	27,093	37,100	1,40,890
22.	मणिपुर	203	198	191	207	260	1,059
23.	मेघालय	55	66	74	62	92	349
24.	मिजोरम	66	45	60	68	50	289
25.	नागालैंड	60	60	128	85	75	408
26.	ओडिशा	2,968	2,572	2,963	3,004	4,227	15,734
27.	पुडुचेरी	112	168	177	193	248	898
28.	पंजाब	2,000	2,117	2,685	2,529	3,369	12,700
29.	राजस्थान	5,092	5,093	5,850	6,582	10,456	33,073
30.	तमिलनाडु	9,455	9,361	11,282	11,682	16,136	57,916
31.	तेलंगाना	9,547	9,184	11,226	11,399	16,523	57,879
32.	त्रिपुरा	152	92	150	134	180	708
33.	उत्तर प्रदेश	14,633	15,282	18,183	17,644	25,297	91,039
34.	उत्तराखंड	1,233	1,320	1,447	1,581	2,011	7,592
35.	पश्चिम बंगाल	6,997	6,778	7,409	7,196	9,446	37,826
कुल		1,40,574	1,37,209	1,61,113	1,61,161	2,26,523	8,26,580

नोट: लघु कंपनियों के आंकड़े 27.07.2026 तक के हैं।

अनुलग्नक-2

दिनांक 03.08.2026 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2422 भाग (क) का अनुलग्नक-2

पिछले 5 वित्तीय वर्ष में भारत में सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी)

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	कुल
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	8	3	7	8	11	37
2.	आंध्र प्रदेश	575	448	747	993	1,557	4,320
3.	अरुणाचल प्रदेश	7	2	11	22	37	79
4.	असम	326	262	418	467	773	2,246
5.	बिहार	378	259	485	573	861	2,556
6.	चंडीगढ़	142	116	155	217	269	899
7.	छत्तीसगढ़	188	133	272	344	555	1,492
8.	दादरा और नगर हवेली दमन और दीव	22	5	23	42	49	141
9.	दिल्ली	4,080	3,255	5,182	5,730	7,425	25,672
10.	गोवा	252	237	440	428	502	1,859
11.	गुजरात	4,109	4,125	5,909	6,858	9,616	30,617
12.	हरियाणा	1,496	1,411	2,497	3,146	4,480	13,030
13.	हिमाचल प्रदेश	93	79	121	149	202	644
14.	जम्मू और कश्मीर	64	63	101	141	216	585
15.	झारखंड	225	160	323	377	533	1,618
16.	कर्नाटक	3,070	2,634	4,742	5,633	7,916	23,995
17.	केरल	2,685	2,064	3,550	4,415	6,622	19,336
18.	लद्दाख	3					3
19.	लक्षद्वीप	2	2	7	6	7	24
20.	मध्य प्रदेश	1,001	790	1,414	1,700	2,510	7,415
21.	महाराष्ट्र	12,111	10,326	15,813	17,544	23,744	79,538
22.	मणिपुर	22	13	11	19	39	104
23.	मेघालय	8	14	20	37	42	121
24.	मिजोरम	3	1	1	4	8	17
25.	नागालैंड	2	2	6	8	13	31
26.	ओडिशा	281	208	380	434	601	1,904
27.	पुडुचेरी	21	26	38	43	63	191
28.	पंजाब	555	426	755	1,000	1,431	4,167
29.	राजस्थान	1,318	1,120	1,846	2,162	3,129	9,575
30.	सिक्किम	9	8	6	12	9	44
31.	तमिलनाडु	1,827	1,486	2,301	2,830	3,995	12,439
32.	तेलंगाना	2,596	2,038	3,635	4,210	5,672	18,151
33.	त्रिपुरा	18	19	17	26	34	114
34.	उत्तर प्रदेश	2,688	2,271	4,259	4,963	7,150	21,331
35.	उत्तराखंड	381	306	443	585	809	2,524
36.	पश्चिम बंगाल	2,488	1,937	3,055	3,847	5,140	16,467
कुल		43,054	36,249	58,990	68,973	96,020	3,03,286

नोट: पंजीकृत एलएलपी के आंकड़े 27.07.2026 तक हैं।

अनुलग्नक-3

दिनांक 03.08.2026 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2422 भाग (क) का अनुलग्नक-3

पिछले पांच वित्तीय वर्षों में तेलंगाना में पंजीकृत जिलेवार लघु कंपनियां

क्र.सं.	जिला*	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	कुल
1.	हैदराबाद	6,351	6,141	7,060	7,307	10,400	37,259
2.	के.वी.रंगारेड्डी	2,172	2,100	2,905	2,741	4,022	13,940
3.	मेडक	258	227	385	419	690	1,979
4.	वारंगल	220	180	191	228	373	1,192
5.	करीम नगर	117	136	157	178	250	838
6.	नलगोंडा	97	80	139	125	210	651
7.	खम्मम	93	84	112	134	184	607
8.	महबूब नगर	92	92	113	112	156	565
9.	निजामाबाद	71	74	64	72	109	390
10.	आदिलाबाद	75	61	79	67	101	383
11.	सिद्दीपेट		4	6	5	12	27
12.	गडवाल		1	7	3	11	22
13.	पेद्दापल्ली			1	3	3	7
14.	वानापर्थी		1	3	3		7
15.	विकाराबाद		1	3	1	1	6
16.	मेडचल मलकाजगिरी	1	2			1	4
17.	सनागारेड्डी				1		1
18.	सूर्यापेट			1			1
कुल	कुल योग	9,547	9,184	11,226	11,399	16,523	57,879

*तेलंगाना के **18** जिलों के जिला द्भिावन जन का विवरण तेलंगाना में कंपनियों के लिए एमसीए डाटाबेस में उपलब्ध है।

अनुलग्नक-4

दिनांक 03.08.2026 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2422 भाग (क) का अनुलग्नक-4

पिछले पांच वित्तीय वर्षों में तेलंगाना में पंजीकृत जिलावार सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी)

क्र.सं.	जिला#	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	कुल
1.	हैदराबाद	1,900	1,605	2,819	2,843	3,739	12,906
2.	के.वी.रंगारेड्डी	541	294	574	1,042	1,431	3,882
3.	मेडक	45	49	96	138	201	529
4.	वारंगल	25	24	38	41	71	199
5.	खम्मम	17	21	30	32	59	159
6.	करीम नगर	20	9	20	30	34	113
7.	नलगोंडा	12	11	25	18	32	98
8.	निजामाबाद	15	12	16	22	33	98
9.	महबूब नगर	6	7	10	28	44	95
10.	आदिलाबाद	15	4	7	11	25	62
11.	सिद्दीपेट				4	2	6
12.	वानापर्थी		1		1	1	3
13.	विकाराबाद		1				1
14.	कुल योग	2,596	2,038	3,635	4,210	5,672	18,151

#तेलंगाना के **13** जिलों के जिला द्भिाजन का विवरण तेलंगाना में एलएलपी के लिए एमसीए डाटाबेस में उपलब्ध है।

अनुलग्नक-5

दिनांक 03.08.2026 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2422 भाग (क) का अनुलग्नक-5

पिछले 5 वर्षों में राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार पंजीकृत स्टार्ट-अप्स

क्रम संख्या	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	2021	2022	2023	2024	2025
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	13	9	13	20	18
2.	आंध्र प्रदेश	299	381	585	606	1,333
3.	अरुणाचल प्रदेश	5	9	17	13	37
4.	असम	190	285	361	347	528
5.	बिहार	390	526	813	841	1,376
6.	चंडीगढ़	69	81	126	102	128
7.	छत्तीसगढ़	168	237	362	460	508
8.	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	12	12	11	16	25
9.	दिल्ली	2,215	2,581	3,159	2,853	3,837
10.	गोवा	81	107	98	125	186
11.	गुजरात	1,729	2,283	3,295	3,445	4,637
12.	हरियाणा	1,070	1,335	1,743	1,730	2,519
13.	हिमाचल प्रदेश	56	120	144	145	199
14.	जम्मू और कश्मीर	131	170	246	273	411
15.	झारखंड	191	239	337	331	467
16.	कर्नाटक	2,157	2,568	3,034	3,174	4,541
17.	केरल	923	1,078	1,296	1,155	1,729
18.	लद्दाख	1	5	5	5	7
19.	लक्षद्वीप	-	-	2	-	-
20.	मध्य प्रदेश	562	898	1,267	1,194	1,724
21.	महाराष्ट्र	3,736	4,811	5,816	5,736	8,067
22.	मणिपुर	37	31	26	55	72
23.	मेघालय	9	10	18	17	27
24.	मिजोरम	2	6	13	16	21
25.	नागालैंड	6	7	22	35	30
26.	ओडिशा	397	451	620	548	819
27.	पुडुचेरी	17	29	43	27	59
28.	पंजाब	244	294	443	406	566
29.	राजस्थान	622	992	1,445	1,246	1,925
30.	सिक्किम	4	2	2	-	6
31.	तमिलनाडु	1,107	1,812	2,816	2,656	3,201
32.	तेलंगाना	993	1,381	1,760	1,809	3,192
33.	त्रिपुरा	12	27	23	45	50
34.	उत्तर प्रदेश	1,981	2,581	3,435	3,486	5,141
35.	उत्तराखंड	162	236	271	270	440
36.	पश्चिम बंगाल	691	1,002	1,175	1,107	1,603
	कुल	20,282	26,596	34,842	34,294	49,429

अनुलग्नक-6

दिनांक 03.08.2026 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2422 भाग (क) का अनुलग्नक-6

पिछले 5 वर्षों के दौरान भाग (क) के संदर्भ में तेलंगाना में जिलावार पंजीकृत स्टार्ट-अप्स

क्रम संख्या	जिला	2021	2022	2023	2024	2025
1.	आदिलाबाद	16	25	35	6	14
2.	भद्राद्री कोठागुडेम	1	1	3	6	4
3.	हनुमाकोंडा	2	4	9	1	8
4.	हैदराबाद	543	813	995	1041	1749
5.	जगतियल	1	3	2	2	5
6.	जंगोअन	-	1	-	-	-
7.	जयशंकर भूपालपल्ली	1	-	-	-	1
8.	जोगुलम्बा गडवाल	-	-	-	2	6
9.	कामारेड्डी	-	-	-	3	-
10.	करीमनगर	3	20	11	18	29
11.	खम्मम	9	10	14	11	27
12.	कुमुराम भीम आसिफाबाद	-	2	1	-	1
13.	महबूबाबाद	1	4	-	-	3
14.	महबूबनगर	1	6	9	8	22
15.	मंचेरियल	3	1	-	-	2
16.	मेडक	7	17	33	40	85
17.	मेडचल मलकाजगिरी	102	121	179	133	246
18.	मुलुगु	-	-	-	1	1
19.	नागरकुरनूल	1	1	-	1	2
20.	नलगोंडा	4	10	9	15	25
21.	नारायणपेट	-	1	1	-	-
22.	निर्मल	-	1	1	-	2
23.	निजामाबाद	7	7	8	11	19
24.	पेद्दापल्ली	2	1	2	4	3
25.	राजन्ना सिरसिल्ला	1	-	1	2	-
26.	रंगा रेड्डी	245	277	402	455	816
27.	संगारेड्डी	18	27	21	15	37
28.	सिद्दीपेट	3	2	1	4	6
29.	सूर्यापेट	4	4	-	4	3
30.	विकाराबाद	-	-	-	1	3
31.	वानापर्थी	2	2	2	-	2
32.	वारंगल	16	19	17	24	68
33.	यादाद्री भुवनगिरी	-	1	4	1	3
	कुल	993	1381	1760	1809	3192

अनुलग्नक-7

दिनांक 03.08.2026 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2422 भाग (ख) एवं (ग) का अनुलग्नक-7

लघु कंपनियों के लिए अनुपालन की सुगमता के लिए मुख्य उपाय

क्र.सं.	धारा	विषय	लघु कंपनियों को समर्थन प्रदान करने हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान
1.	धारा 2(40) - परंतुक	वित्तीय विवरण	वित्तीय विवरण के भाग के रूप में नकद प्रवाह विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता को वैकल्पिक बनाया गया है।
2.	धारा 92(1) - उपबंध	वार्षिक रिटर्न	(i) कंपनी सचिव द्वारा अथवा जहाँ कंपनी सचिव न हो, वहाँ कंपनी के किसी निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किया जाना। (ii) लघु कंपनियों के लिए विहित संक्षिप्त वार्षिक रिटर्न।
3.	92 (1) (छ)	वार्षिक रिटर्न में निदेशकों के पारिश्रमिक का प्रकटीकरण	निदेशकों द्वारा आहरित पारिश्रमिक की कुल राशि का प्रकटीकरण लघु कंपनियों के लिए पर्याप्त है।
4.	धारा 134(3क)	बोर्ड की रिपोर्ट	लघु कंपनियों के लिए विहित संक्षिप्त बोर्ड रिपोर्ट।
5.	कंपनी (लेखा-परीक्षा एवं लेखा-परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 139(2)	लेखा-परीक्षकों का रोटेशन	लघु कंपनियों में लेखा-परीक्षकों का रोटेशन अनिवार्य नहीं है।
6.	141(3) (छ)	लेखा-परीक्षकों की संख्या पर प्रतिबंध	अधिकतम लेखा-परीक्षकों की संख्या से संबंधित प्रतिबंध लघु कंपनियों के लेखा-परीक्षकों पर लागू नहीं होते।
7	143 (3) (झ)	लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर प्रकटीकरण	ये प्रकटीकरण लघु कंपनियों पर लागू नहीं होते हैं।

8.	173 (5)	बोर्ड की बैठकें	कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निदेशक मंडल की बैठक प्रत्येक 120 दिनों में कम से कम एक बार तथा वर्ष में कुल 4 बार आयोजित की जानी आवश्यक है। तथापि, लघु कंपनी के मामले में, प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की प्रत्येक छमाही में एक बोर्ड बैठक तथा दो बैठकों के बीच न्यूनतम 90 दिनों का अंतर होना, कंपनी अधिनियम की धारा 173(5) की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त है।
9.	446ख	कमतर दंड	धारा 446ख के अनुसार लघु कंपनियाँ कमतर दंड के पात्र हैं।
10.	नियम 8(12)(क)	कंपनी (पंजीकरण कार्यालय एवं शुल्क) संशोधन नियम, 2014	लघु कंपनियों को पेशेवरों द्वारा प्ररूपों के पूर्व-प्रमाणीकरण की आवश्यकता से छूट प्रदान की गई है।
11.	अनुलग्नक-शुल्क सारणी	कंपनी (पंजीकरण कार्यालय एवं शुल्क) संशोधन नियम, 2014	लघु कंपनियों के लिए कमतर शुल्क निर्धारित किया गया है।
12.	खंड 1(2)(iv)	कंपनी (लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (सीऐआरओ 2020)	कंपनी (लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (सीऐआरओ 2020) लघु कंपनियों पर लागू नहीं होता है।
13.	233	आरडी के अनुमोदन से विलय	दो या दो से अधिक लघु कंपनियों के बीच या एक या एक से अधिक स्टार्ट-अप कंपनियों और एक या एक से अधिक लघु कंपनियों के बीच विलय की अनुमति आरडी के अनुमोदन से दी गई है।
14.	2(85)	लघु कंपनियों का निगमन	15 लाख रुपये तक की अधिकृत पूंजी वाली या 20 सदस्यों तक की उन सभी कंपनियों के निगमन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, जहां शेयर पूंजी लागू नहीं होती है।

लघु एलएलपी के लिए रिपोर्टिंग एवं प्रकटीकरण संबंधी प्रमुख रियायतें

(i) एलएलपी नियम, 2009 के नियम 5 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट ई-प्रपत्रों के लिए लघु एलएलपी को फाइलिंग शुल्क तथा विलंबित फाइलिंग पर अतिरिक्त शुल्क में रियायत प्रदान की गई है।

(ii) सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 76क(3)(क) के द्वितीय परंतुक में यह प्रावधान है कि यदि किसी लघु एलएलपी द्वारा चूक की जाती है, तो उस पर संबंधित चूक के लिए विनिर्दिष्ट मौद्रिक दंड का आधा दंड लगाया जाएगा, जो एलएलपी के लिए अधिकतम ₹1 लाख तथा प्रत्येक भागीदार, अभिहित भागीदार या अन्य व्यक्ति के लिए अधिकतम ₹50,000 तक सीमित होगा।